## प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



## भारतीय रिज़र्व बैंक BESERVE BANK OF INDIA

.वेबसाइट **:** www.rbi.org.in/hindi Website : www.rbi.org.in ई-मेल/email **:** <u>helpdoc@rbi.org.in</u>



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,

Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022-2266 0502

21 नवंबर 2023

## बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पिठत धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 3.No.S1391/15-04-301/2022-23 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अविध के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता अविध को दिनांक 7 अगस्त 2023 के निदेश सं.DOR.MON.D-54/12.22.722/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

- 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 नवंबर 2023 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
- 3. तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्वारा उक्त निदेश की परिचालन अविध को 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 24 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अविध के लिए बढ़ाता है जो कि समीक्षाधीन होगा।
- 4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1329

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक